

(दिल्ली राजपत्र के भाग-IV असाधारण में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

(शहरी विकास विभाग)

सं0फा0 :4(2)/आरआर/एलबी/2017/4591-4599

दिनांक : 14/06/2017

अधिसूचना

सं0फा0 :4(2)/आरआर/एलबी/2017/4591-4599 :- गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 19 अक्टूबर, 1966 की अधिसूचना सं0 एस0ओ0 3159 के साथ पठित दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (1957 का 66) की धारा 480 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 98 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श के पश्चात् तथा दिनांक 28 अप्रैल, 1983 की अधिसूचना सं0 फा0 9/9/83-एलएसजी-2176 द्वारा अधिसूचित जन स्वास्थ्य निरीक्षक के पद से संबंधित भर्ती विनियमों के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई बातें या हटाई जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, उत्तर दक्षिण तथा पूर्व दिल्ली नगर निगम में जन स्वास्थ्य निरीक्षक के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित भर्ती विनियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ :- (1) इन विनियमों को जन स्वास्थ्य निरीक्षक, भर्ती विनियम, 2017 कहा जाये।
- (2) ये दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।
2. पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर :- उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर के साथ संबद्ध इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
3. भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं इत्यादि :- उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
4. अयोग्यता :- कोई भी व्यक्ति
(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका जीवित पति/पत्नी है; या
(ख) जिसने जीवित पत्नी/पति के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया है,

वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा :

उपबंध है कि सरकार यदि इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति या अन्य पार्टी पर लागू व्यक्तिगत कानून के अन्तर्गत अनुमति योग्य है तथा ऐसा करने के अन्य आधार हैं तब किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रचालन से छूट प्रदान की जा सकती है।

5. छूट प्रदान करने की शक्ति :- जहां सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए तथा संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श से तथा सरकार के पूर्व अनुमोदन से व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन विनियमों के उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है।

6. बचाव :- इस विनियम में कोई भी बात इस संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक तथा अन्य विशेष व्यक्तियों के वर्गों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।



अनुसूची

1.	पदनाम	:	जन स्वास्थ्य निरीक्षक
2.	पदों की संख्या	:	* 111 (2017) (उत्तर दिल्ली नगर निगम-42, दक्षिण दिल्ली नगर निगम-42, पूर्व दिल्ली नगर निगम-27) * इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3.	वर्गीकरण	:	वर्ग "ख"
4.	पे बैंड एवं ग्रेड पे / वेतनमान	:	पे मैट्रिक्स में स्तर-6 (पूर्व संशोधित पे बैंड-2, 9300 - 34800/- रुपये + ग्रेड पे 4200/रुपये
5.	क्या चयन पद है या गैर चयन पद	:	चयन
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	30 वर्ष से अधिक नहीं केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये पाँच वर्ष तक शिथिलनीय नोट:-आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि वही होगी लेकिन यह असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चंबा जिले की पांगी सब डिवीजन व अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, लक्ष्यदीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	:	अनिवार्य :- (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की



		<p>उपाधि।</p> <p>(ii) मान्यता प्राप्त संस्थान से सफाई निरीक्षक डिप्लोमा।</p> <p>अनुभव :- सुसंगत क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव</p> <p>नोट 1 :- अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए योग्यता सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है।</p> <p>टीप-2 यदि चयन की किसी अवस्था में संक्षम प्राधिकारी के अभिमत से अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है।</p>
8.	क्या सीधी भर्ती के लिये अपेक्षित आयु एवं शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में भी लागू होगी।	: लागू नहीं।
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	: सीधी भर्ती वालों तथा पदोन्नति वालों के लिये दो वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या विलयन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	: (i) 25प्रतिशत पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा अल्पकालिक संविदा सहित। (ii) 75प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।
11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन किया जाना है	: पदोन्नति: ग्रेड में दस वर्ष की नियमित सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 में सहायक जन स्वास्थ्य निरीक्षक, टीप 1:- जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी



अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि के आधे से न्यून या दो वर्ष से कम न हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परीवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने (कनिष्ठ अधिकारी) उतनी अर्हक / पात्रता पहले ही पूरी कर ली है (संघ लोक सेवा आयोग से सहमत भर्ती नियमों के अनुसार)।

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)

केन्द्रीय/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान/ विश्वविद्यालय/अर्धसरकारी या सांविधिक या स्वायत्त संगठन के निम्नलिखित अधिकारी:-

क. (1) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा

(2) वेतन मैट्रिक्स में स्तर -5 में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में छह वर्ष की सेवा अथवा मूल संवर्ग/विभाग में समकक्ष

(3) वेतन मैट्रिक्स में स्तर -4 में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में दस वर्ष की सेवा अथवा मूल संवर्ग/विभाग में समकक्ष


(ख) कालम 7 के अन्तर्गत सीधी भर्ती के लिये निर्धारित शैक्षिक योग्यताएँ एवं अनुभव रखने वाले

टीप - 1 : भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की सीधी श्रृंखला में है वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे।



		टीप - 2 : केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि भी सम्मिलित है, यह सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी।
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	<p>“ख” वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 अपर आयुक्त (स्वास्थ्य) .. अध्यक्ष 2 नगर स्वास्थ्य अधिकारी- सदस्य 3 निदेशक कार्मिक - सदस्य 4 अपर उपायुक्त (स्वास्थ्य) - सदस्य <p>“ख” वर्गीय विभागीय स्थायीकरण समिति:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. नगर स्वास्थ्य अधिकारी - अध्यक्ष 2. उप स्वास्थ्य अधिकारी - सदस्य 3. सहाय आयुक्त (स्वास्थ्य) - सदस्य
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर


(पवन चोपड़ा)

उप निदेशक, स्थानीय निकाय,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार


सं0फा0 :4(2)/आरआर/एलबी/2017/4591-4599

दिनांक: 14.06.2017

प्रतिलिपि निम्न को अग्रसारित :-

1. प्रधान सचिव, उपराज्यपाल, दिल्ली।
2. प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

3. सचिव, मंत्री शहरी विकास / स्थानीय निकाय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ।
4. प्रधान सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ।
5. निदेशक (स्थानीय निकाय), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ।
6. निगम आयुक्त, उत्तर, दक्षिण एवं पूर्व, दिल्ली नगर निगम ।
7. उप-सचिव (सा0प्र0वि0), समन्वय शाखा को दिल्ली राजपत्र भाग-चार असाधारण में आज की तिथि में प्रकाशनार्थ ।
8. प्रोग्रामर, शहरी विकास को स्थानीय निकाय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
9. गार्ड फाईल ।



(पवन चोपड़ा)

उप निदेशक, स्थानीय निकाय,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

(TO BE PUBLISHED IN PART-IV OF DELHI GAZETTE)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT)

Dated the 14.6- 2017

Notification

No. F.4(2)/RR/LB/2017/4591-4599

In exercise of the powers conferred by section 98, read with sub-section (2) of section 480 of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 (66 of 1957) read with Government of India, Ministry of Home Affairs, notification number S.O. 3159 dated the 19th October, 1966, and after consultation with Union Public Service Commission and in supersession of recruitment regulations relating to the post of **Public Health Inspector** notified vide No. F.No. 9/9/83-LSG-2176 dated the 28th April, 1983 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following recruitment regulations for regulating the method of recruitment to the post of **Public Health Inspector** in North, South and East Delhi Municipal Corporations, namely:-

1. **Short title and commencement.**-(1) These Regulations may be called **The Public Health Inspector Recruitment Regulations, 2017.**
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.
2. **Number of posts, classification and pay level in the Pay matrix.** - The number of the said post, their classification and pay level in the Pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these regulations.
3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.** - The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
4. **Disqualification.** - No person, -
 - (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted marriage with any person;shall be eligible for appointment to the said post:



Provided that Government, may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulations.

5. **Power to relax.** - Where the Government of the National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons or posts.

6. **Saving.** - Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Government of India from time to time, in this regard.



SCHEDULE

(1) Name of post.	(2) Number of post.	(3) Classification.	(4) Pay Level in the Pay Matrix.	(5) Whether Selection post or non-selection post.	(6) Age limit for direct recruits.	(7) Educational and other qualifications required for direct recruits.	(8) Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	(9) Period of probation, if any.	(10) Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion/ deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	(11) In case of promotion/ deputation/ absorption from which promotion/ deputation/ absorption to be made.	(12) If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	(13) Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
Public Health Inspector.	111* (2017) *Subject to variation dependent on workload. (North DMC - 42 South DMC - 42 East DMC - 27)	Category - B.	Level - 6 in the Pay Matrix. (Pre revised Pay Band 2 (Rs. 9300-34800) plus Grade Pay Rs. 4200/-).	Selection.	Not exceeding 30 years. Note 1: (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instruction issued by the Central Government).	Essential. i) Bachelor's degree from a recognized university. (ii) Sanitary Inspector Diploma from a recognized institute. Experience: One year experience in the relevant field. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Authority for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to Scheduled Castes Or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these Communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.	Not Applicable.	Two years for direct Recruits and promotees.	Promotion: Assistant Public Health Inspectors in Level 4 in the Pay matrix with ten years of regular service in the grade. Note: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying / eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade, along with their juniors who have already completed such qualifying/ eligibility service. Deputation (including short term contract): Officers Under the Central or State Governments or Union Territories or Public Sector Undertakings or Recognized Research Institutions or Universities or Semi Government or statutory or Autonomous Organization. (A) (i) Holding Analogous Post on Regular Basis in the Parent Cadre/Department, or (ii) With six Years Service in the Grade rendered after Appointment thereto on a Regular Basis in posts in Level-5 in the pay matrix or Equivalent in the Parent Cadre/Department, or (iii) With ten years service in the Grade rendered after appointment thereto on a	Category "B" Departmental Promotion Committee: 1. Additional Commissioner (Health)-Chairman 2. Municipal Health Officer - Member 3. Director Personnel - Member 4. Additional Deputy Commissioner (Health) - Member Category "B" Departmental Promotion Committee: 1. MHO - Member 2. DHO - Member 3. AC (Health) Member	Consultation of the Union Public Service Commission necessary.	

Handwritten signature/initials

											Regular Basis in posts in Level-4 in the pay matrix or equivalent in the parent Cadre/department; and (B) Possessing the Educational Qualification and Experience Prescribed for direct recruits under Column 7. Note 1 : The departmental officer in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation/ absorption. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2 : (period of deputation (including short term contact) including period of deputation (including short term contact) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ department of the central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contact) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).	
											Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K State, Lachul & Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep).	

By order and in the name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory
of Delhi,

(Signature)
Pawan Chopra
Deputy Director of Local Bodies
Government of NCT of Delhi

Delhi dated the 14th 06 2017.

No.F-1/RR/LB/2017/4591-4599

Copy forwarded to the:-

1. The Principal Secretary to the Lt. Governor, Delhi.
2. The Principal Secretary to the Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi.
3. The Secretary to the Minister of Secretary UD/Local Bodies, Govt. of NCT of Delhi.
4. The Principal Secretary (L.&L.A), Govt of NCT of Delhi.
5. Director (Local Bodies), Govt. of NCT of Delhi.
6. Municipal Commissioners, North, south and East Delhi Municipal Corporations.
7. The Dy. Secretary (GAD), Co-ordination Branch in duplicate, for the publication in Delhi Gazette, Part-IV Extraordinary of today's date.
8. Programmer UD to upload in Local Bodies Website.
9. Guard File

(Signature)
Pawan Chopra
Deputy Director of Local Bodies
Govt. of NCT of Delhi